न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, अजमेर

(निर्णय बईजलास श्री के.के.शर्मा,आर0ए0एस0 अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,अजमेर)

अपील संख्या :–35/2015/भीलवाड़ा (2015/00002)

1. नारायण पिता छोगा गुर्जर, निवासी फागणों का खेड़ा, तह0 हमीरगढ़, जिला भीलवाड़ा ।

अपीलांट

बनाम

1. भैरूलाल पिता रूपा गुर्जर, नि0 राजपुरा,
2. रघुनाथ पिता हाथीराम गुर्जर, निवासी कोचरिया,
3. समा पिता ऊंकार गुर्जर, निवास गलेदिया,
4. श्रीमती नन्दू पत्नी किशन गुर्जर, निवासी मलाण,
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, हमीरगढ़, जिला भीलवाड़ा ।

रेस्पोडेंटस

अपील अंतर्गत धारा 76 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 विरूद्ध निर्णय विद्वान जिला कलक्टर, भीलवाड़ा दिनांक 16.3.2015 अपील संख्या 04/2013 .

उपस्थितः–

1. श्री राघवेन्द्र सिंह राणावत, वकील अपीलांट ।
2. श्री घनश्यामसिंह लखावत, वकील रेस्पो0 संख्या 1, 2 व 4.
3. श्री भवानीसिंह, वकील रेस्पो0 संख्या 3.

निर्णय

दिनांकः–22.12.2017.

अपीलांटस ने यह अपील विद्वान जिला कलक्टर, भीलवाड़ा (संक्षेप में अधीनस्थ न्यायालय) द्धारा पारित निर्णय दिनांक 16.3.2015 (संक्षेप में अपीलाधीन निर्णय) से अप्रसन्न होकर राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत इस न्यायालय में प्रस्तुत की हैं। xx

1- प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पो0 संख्या 1 भैरूलाल ने एक प्रार्थना पत्र तहसीदलार, हमीरगढ़ के समक्ष पेश कर ग्राम मंगरोप में स्थित खसरा नंबर 2341 के संयुक्त खातेदारान में से भूरा पुत्र लाल एवं नन्दू बेवा राम का 1/4, 1/4 हिस्सा दर्ज रिकार्ड है । दोनों खातेदारान के प्रथम श्रेणी के कोई वारिसान नहीं है तथा फौत हो चुके है इस कारण दोनों की फौतगी का नामांतकरण रेस्पो0 के पक्ष में पारित करने का निवेदन

किया । प्रस्तुत आवेदन पत्र पर पटवारी हल्का द्वारा दिनांक 19.7.2013 को रिपोर्ट प्रस्तुत कर अनुरोध किया कि मामला विवादित है । चूंकि इसी प्रकरण में रतनलाल पिता नारायण गुर्जर द्वारा प्रार्थना पत्र पेश कर मृतक खातेदार द्वारा प्रार्थी के पक्ष में वसीयत की गई है, अतः वसीयत के आधार पर नामांतकरण खोला जावे । तहसीलदार ने प्रकरण दर्ज कर रेस्पो0 का प्रार्थना पत्र आदेश दिनांक 27.10.2014 को स्वीकार कर ग्राम मंगरोप स्थित आराजी खसरा नंबर 2341 रकबा 0.15 बीघा जो संयुक्त खातेदार के रूप में अंकित मृतक भूरा व नन्दु बेवा श्रीराम गुर्जर के फौत होने से उनके विधिक वारिसान के नाम विरासत से नामांतकरण दर्ज करने की कार्यवाही की जावे । तहसीलदार के उक्त आदेश दिनांक 27.10.2014 के विरूद्ध नारायण ने प्रथम अपील जिला कलक्टर, भीलवाड़ा के न्यायालय में प्रस्तुत की जिसे विद्वान जिला कलक्टर, भीलवाड़ा ने निर्णय दिनांक 16.3. 2015 द्वारा अपास्त किया । अधी0न्याया0 के इस आदेश से अप्रसन्न होकर अपीलांट ने यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की है।

2- अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को नोटिस जारी किये गये । रेस्पोडेंटस के उपस्थित होने एवं अधी0न्यायालय का रिकार्ड प्राप्त होने के उपरांत प्रकरण में विद्वान अभिभाषक अपीलांट एवं रेस्पो0 की बहस सुनी गई । xx

3- अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक ने दौराने बहस अपीलमीमों में उल्लेखित तथ्यों की ताईद करते हुए कथन किया कि विद्वान जिला कलक्टर, भीलवाड़ा एवं तहसीलदार हमीरगढ़ द्वारा पारित निर्णय न्याय, नियम एवं रिकार्ड के विपरीत होने से काबिल निरस्तनीय है । वसीयत पैतृक व स्वअर्जित सम्पति दोनों की जा सकती है । पैतृक सम्पति में अपने हिस्से तक की वसीयत किया जाना विधि अनुसार होता है । उक्त प्रकरण में अपीलांट के पक्ष में रिकार्डेड खातेदारों द्वारा अपने हिस्से की ही वसीयत की गई है जो किसी भी प्रकार से अवैध नहीं है फिर भी अधी0न्याया0 ने राजस्व रिकार्ड में अंकित प्रविष्टियों को नजरअंदाज करते हुए विधि विरूद्ध आदेश पारित किये है । विद्वान वकील अपीलांट ने बहस को आगे बढ़ाते हुए कथन किया कि मृतक भूरा एवं नन्दू के कोई प्रथम श्रेणी का जायंदा वारिस नहीं है, उनकी अंतिम इच्छानुसार अपीलांट के पक्ष में निष्पादित अंतिम वसीयत दिनांक 3. 1.1985 एवं 19.1.1993 के आधार पर प्राथमिकता देते हुए अपीलांट के पक्ष में नामांतकरण पारित किया जाना चाहिये था किन्तु अधी0न्याया0 ने वसीयत को नजरअंदाज कर रेस्पो0 को विधिक वारिस मानकर नामांतकरण आदेश पारित कर दिया जो विधि विरूद्ध है । विद्वान वकील अपीलांट ने बहस में कथन किया कि जब तक रेस्पो0 द्वारा अपीलांट के पक्ष में निष्पादित वसीयत को सक्षम न्यायालय में चुनौती देकर अवैध घोषित नहीं करवा दिया जाता है तब तक वसीयत की वैधता पर कोई भी प्रश्न किया जाना न्यायोचित नहीं है । अपीलांट के पक्ष में निष्पादित वसीयत को किसी भी सक्षम न्यायालय द्वारा अवैध घोषित नहीं किये जाने से अपीलांट की वसीयत आज दिनांक प्रभावी है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। विद्वान वकील अपीलांट ने बहस में आगे कथन किया कि वसीयत का

पंजीकृत होना अथवा वसीयत पर सिविल कोर्ट से प्रोबेट प्राप्त करना कानूनन आवश्यक नहीं है क्योंकि वसीयत रूबरू गवाहान निष्पादित की गई है जो वर्षो पुरानी है तथा अधिवक्ता रेस्पो0 द्वारा भी जिला कलक्टर के न्यायालय के समक्ष मात्र यही कथन किये गये है कि अपंजीकृत वसीयत के आधार पर नामांतकरण तस्दीक नहीं किया जा सकता है अर्थात् उनके द्वारा भी वसीयत को स्वीकार किया गया है । अधी0न्याया0 ने वसीयत के प्रभावी रहते, वसीयत को नजरअंदाज कर नामांतकरण आदेश पारित करने में विधिक त्रुटि कारित की है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर तहसीलदार, हमीरगढ़ का आदेश दिनांक 27.10.2014 एवं विद्वान जिला कलक्टर, भीलवाड़ा का निर्णय दिनांक 163.2015 अपास्त किया जावे एवं विवादित आराजी का नामांतकरण अपीलांट के पक्ष में तस्दीक किये जाने के आदेश प्रदान करावे ।

4- विद्वान वकील रेस्पोडेटस 1 ने जवाब बहस में कथन किया कि दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णय विधिसम्मत् है । अपीलांट द्वारा प्रस्तुत तथाकथित वसीयत अपंजीकृत है । वसीयत की वैधता का अधिकार सिविल न्यायालय को है ना कि राजस्व न्यायालय को । वैसे भी ऐसे मामलों में जहां वसीयत को लेकर विवाद हो वहां वसीयत के आधार पर नामांतकरण की कार्यवाही के बजाय प्राकृतिक वारिसान के पक्ष में नामांतकरण की कार्यवाही करनी चाहिये । अपीलांट सिविल न्यायालय से वसीयत को प्रोबेट कराये बिना वसीयत के आधार पर किसी प्रकार का हक व अधिकार प्राप्त नहीं कर सकता है । तहसीलदार, हमीरगढ़ ने विधिसम्मत् रूप से अपीलांट का प्रार्थना पत्र तथा विद्वान जिला कलक्टर, भीलवाड़ा ने अपील खारिज की है जिसमें किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है । अतः अपील अपीलांट निरस्त की जावे ।

5- हमने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात एवं उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया । पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलांट ने वसीयत के आधार पर मृतक खातेदार भूरा एवं नन्दू की आराजियात का नामांतकरण तस्दीक करने हेतु तहसीलदार, हमीरगढ़ के समक्ष दिनांक 23.7.2013 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था तथा इसी प्रकार रेस्पो0 संख्या 1 भैरूलाल ने भी तहसीलदार के समक्ष दिनांक 9.7.2013 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर मृतक खातेदारान के प्रथम श्रेणी के वारिसान जीवित नहीं होने का कथन कर स्वंय को विधिक वारिसान बताते हुए विरासत का नामांतकरण स्वीकृत किये जाने का निवेदन किया । अधी0न्याया0 की पत्रावली में उपलब्ध वसीयत दिनांक 3.1.1985 एवं 21.1.1993 का अवलोकन किया गया । उक्त दोनों वसीयत अंपजीकृत होकर फोटो प्रतियां है जो साक्ष्य में भारतीय साक्ष्य अधि0 के अनुसार साक्ष्य में ग्राह्य नहीं है। उक्त वसीयत में गवाह कौन थे तथा उनकी वल्दियत भी अंकित नहीं है तथा ना ही वसीयत किसके द्वारा लिखी गई इसका भी अंकन नहीं है । हम विद्वान अधी0न्यायालयों के इस निष्कर्ष से भी सहमत है कि विवादित भूमि पैतृक आराजी होने से पैतृक आराजी वसीयत नहीं की जा सकती है। इस संबंध में तहसीलदार, हमीरगढ़ ने पटवारी हल्का से रिपोर्ट प्राप्त की है

जिसने अपनी रिपोर्ट विवादित भूमि को पैतृक होना अंकित किया है । हम रेस्पो0 के अधिवक्ता के इस कथन से भी सहमत है कि जहां वसीयत को लेकर विवाद हो वहां वसीयत को सक्षम सिविल न्यायालय से प्रोबेट कराये बिना वसीयतगृहिता को कोई अधिकार प्राप्त नहीं होते है । राजस्थान भू-राजस्व अधि0 की धारा 135 (2) के अनुसार जहां भूमि को लेकर विवाद हो वहां नामांतकरण के क्रम में प्राकृतिक वारिसान को प्राथमिकता देनी चाहिये तथा ऐसे मामलों में वसीयत के आधार पर नामांतकरण की कार्यवाही से बचना चाहिये । अपीलांट वसीयत को सक्षम सिविल न्यायलाय से प्रोबेट कराये बिना विवादित भूमि में वसीयत के आधार पर कोई हक व अधिकार प्राप्त नहीं कर सकता है । अधी0न्याया0 ने भू-राजस्व अधि0 की धारा 135 (2) में दिये गये प्रावधानों तथा अपीलांट द्वारा वसीयत को सक्षम सिविल न्यायालय से प्रमाणित नहीं कराये जाने के तथ्यों को ध्यान में रखकर अपीलाधीन निर्णय पारित किये है जिसमें हमें कोई विधिक एवं तथ्यात्मक त्रुटि प्रतीत नही होती है । उपरोक्त विवेचन के क्रम में अपील अपीलांट अपास्त योग्य तथा विद्वान जिला कलक्टर, भीलवाड़ा द्वारा पारित निर्णय दिनाक 16.3.2015 एवं तहसीलदार, हमीरगढ़ द्वारा पारित आदेश दिनांक 27.10.2014 यथावत् रखे जाते है ।

-:क्रियात्मक आदेश:-

अतः उपरोक्त विवेचन अनुसार अपील संख्या 35/2015 (2015/00002) बउनवानी नारायण बनाम भैरूलाल को अपास्त किया जाता है तथा तथा विद्वान जिला कलक्टर, भीलवाड़ा द्वारा अपील संख्या 4/2013 बउनवान नारायण बनाम भैरूलाल में पारित निर्णय दिनांक 16.3.2015 एवं तहसीलदार, हमीरगढ़ द्वारा पारित आदेश दिनांक 27.10.2014 यथावत् रखे जाते है । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो ।

(के.के.शर्मा)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,
अजमेर

आदेश आज दिनांक 22.12.2017 को मेरे द्धारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(के.के.शर्मा)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,
अजमेर